

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *365
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा

***365. श्री बैनी बेहनन:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकारी सेवाओं की सुलभता को सुकर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को बाधित करती है; और
- (ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को पाटने की रूपरेखा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 365 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) जैसा कि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों और द्वीपों में, जहां अभी इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाओं की कमी है, वहां उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली यह सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि मांग के आधार पर देश के सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बाहर के गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए बिना भेदभाव के आधार पर सुलभ है, और इसका उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाएं जैसे फाइबर ट्रॉफोम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज़ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल, आदि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। दिनांक 04.08.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव तथा उपयोग के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है। जून 2025 तक भारतनेट परियोजना के अंतर्गत देशभर में 2,14,325 ग्राम पंचायतों को सेवा देने के लिए तैयार कर दिया गया है।

देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाएँ पहुंचाने के लिए विभिन्न लक्षित योजनाएँ/परियोजनाएँ जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना (सीटीडीपी), द्वीपों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों) के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, आकांक्षी ज़िलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजनाएं, सीमावर्ती गांवों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना, सभी गांव जहां अभी कवरेज नहीं है, वहां मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4जी संतुष्टि योजना कार्यान्वित की गई है। देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे गांव जहां मोबाइल कवरेज नहीं है, वहां 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी मोबाइल सेवाओं के संतुष्टिकरण की परियोजना का कार्यान्वयन कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। जून 2025 तक, विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के तहत देश में 21,748 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं।

चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (2312 किमी) के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरूआत, मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (1869 किमी) के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी की शुरूआत, लक्षद्वीप द्वीप समूह में 225 किमी ओएफसी नेटवर्क का निर्माण जैसी विभिन्न ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीप समूह में

फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं , मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं को तेजी से शुरू करने में मदद की है।

ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उन्नत संगणन विकास केंद्र और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से विभिन्न आईटी-आधारित समाधान डिजाइन विकसित और कार्यान्वित किए हैं। डिजिटल अंतर को कम करने और अंतिम उपयोगकर्ता तक सेवाएं पहुँचाने के लिए अपनी पंचायत स्तर पर सेवाएँ देने वाले डिजिटल समाधान बनाए गए हैं जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये सेवाएं केवल इंटरनेट से जुड़े क्षेत्रों तक ही नहीं बल्कि दूर-दराज या बिना इंटरनेट से जुड़े क्षेत्रों में भी उपयोग की जा सके।
